शोध शीर्षक:

" नारी उत्थान के संदर्भ में गांधी और अंबेडकर के योगदान का तुलनात्मक अध्ययन "

✸ <u>विषय प्रवेश (Introduction)</u> :–

नारी किसी भी देश या समाज का महत्वपूर्ण अंग होती है जिसके विकास के अभाव में समाज या देश का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। नारी उत्थान के संदर्भ में गांधी और अंबेडकर के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को समाज में समानता और उनके उत्थान के प्रति गांधी और अंबेडकर के दृष्टिकोणों की तुलना करना है। नारी के उत्थान का मुद्दा भारतीय समाज में दशकों से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। गांधी और अंबेडकर जैसे महान विचारक ने इस मुद्दे को अपने विचारों में गहराई से छूने का प्रयास किया। इस शोधकार्य में, हम उनके विचारो के महत्व को समझने के लिए दोनों के विचार में समानता और भिन्नता के साथ दोनों के महत्त्व और उनकी प्रासंगिकता पर विचार करेंगे।

महात्मा गांधी के विचार :–

महात्मा गांधी ने नारी के उत्थान को अपने सत्याग्रह और स्वदेशी आंदोलनों के साथ जोड़कर महत्वपूर्ण बना दिया। उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनाया। गांधीजी के विचारों के कुछ प्रमुख बिंदु :

1. **साक्षरता** : गांधीजी ने नारियों के लिए साक्षरता का महत्व बताया और उन्हें शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह की ओर प्रोत्साहित किया।
2. **जीवन में स्वावलंबन** : गांधीजी ने महिलाओं को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दी गांधीजी के स्वदेशी आंदोलन में महिलाएं भी भाग ली। उन्होंने स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित किया, जिससे महिलाये आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकती थीं।
3. **सती प्रथा के खिलाफ** : गांधीजी ने सती प्रथा जैसे नारी अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और इन अमानविय प्रथाओं के खिलाफ आंदोलन किया।
4. **स्त्री सशक्तिकरण** : गांधीजी ने स्त्री सशक्तिकरण के प्रति गहरी रुचि दिखाई और उन्होंने स्त्रियों को समाज में अधिक भागीदारी दिलाने के लिए उनकी शिक्षा और सामाजिक समानता पर जोर दिया।

भीमराव अंबेडकर के विचार :–

भीमराव अंबेडकर ने नारी के उत्थान के मामले में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सामाजिक आन्दोलन एवं संविधान के द्वारा नारी को समाज में समानता का अधिकार दिलाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। अंबेडकर जी के विचारों के कुछ मुख्य बिंदु :–

1. **समाज में समानता :** अंबेडकर महिलाओ को समाज में समानता के अधिकार को महत्वपूर्ण मानते थे वो महिलाओ को समाज में समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे ।

2. **समाज में भागीदारी** : अम्बेडकर महिलाओ के विकास के लिए देश तथा समाज में सभी की बराबर भागीदारी चाहते थे ।

3. **शिक्षा** : अंबेडकर ने महिलाओ के विकास के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किया।

4. **धर्मनिरपेक्षता** : अंबेडकर जी ने धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया और महिलाओं को अपने धर्म और आदर्श के स्वतंत्र चयन की अनुमति दी।

अतः गांधी और अंबेडकर जैसे महान विचारकों के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करने से हम देख सकते हैं कि वे नारी के उत्थान के लिए अलग – अलग दृष्टिकोणों को प्राथमिकता देते थे। गांधीजी के विचारों में नारी को स्वावलंबी और साक्षर बनाने का महत्वपूर्ण स्थान था, जबकि अंबेडकर ने समाज में समानता और स्वतंत्रता के अधिकार के माध्यम से नारी के उत्थान में अपना योगदान दिया । इन दोनों के दृष्टिकोणों का संयोजन, महिलाओ के उत्थान में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

✹ साहित्य की प्रारम्भिक समीक्षा (Preliminary review of literature) :–

किसी राष्ट्र की संस्कृति एवं विकास के सार के मूल्यांकन का सर्वाधिक सशक्त माध्यम उसे राष्ट्र में स्त्रियों की स्थिति को माना जाता है। किसी भी राष्ट्र अथवा समाज के द्वारा महिलाओं के प्रति निर्धारित दृष्टिकोण ही उसका सबसे सशक्त आधार होता है। भारत के इतिहास में महिलाओं के संबंध में दृष्टिकोण परिवर्तित होते रहा है। नारी को कभी देवी के रूप में भी पूजा जाता था तो कभी उसे निम्नतम श्रेणी में रखकर उसकी गरिमा की अवहेलना भी की जाती थी। परंतु यह भी सत्य है, कि भारतीय समाज में कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो कभी भी महिलाओं के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया था। उसे माता, पत्नी, पुत्री, बहन तथा पुत्रवधू के रूप में सम्मान तो प्राप्त होता था, परंतु उसका अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व या अस्तित्व बहुत ही कम देखने को मिलता था।

• हडप्पा सभ्यता

भारतीय इतिहास की सबसे प्राचीन हडप्पा सभ्यता से जो प्रमाण प्राप्त होते हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि उस समय महिलाओं को पूजनीय माना जाता था तथा समाज में उनका विशेष स्थान प्राप्त था ।सैंन्धव सभ्यता से प्राप्त मुहरों पर मातृशक्ति के प्रतीक के रूप में मातृदेवी के चित्र समाज में उनके स्थान को निर्धारित करते हैं ।"हडप्पा सभ्यता मे नारी को ऊर्वरा के प्रतीक के रूप में पूजा जाता था"। [(1)]

• पूर्व वैदिक काल

पूर्व दैदिक काल में पितृसत्तामक समाज होने पर भी समाज में स्त्रियों की प्रतिष्ठा थी । बौद्धिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक जीवन में उसे स्त्री कन्या तथा माता के रूप में निरंतर सम्मान दिया जाता था। धार्मिक कृत्यों, सामाजिक उत्सव एवं समारोह आदि में भी पुरुष के साथ समान आसन ग्रहण करती थी पत्नी के रूप में स्त्रियां घर की सम्राज्ञी होती थी। महिलाओं के लिए प्रस्तुत गृहस्वामिनी तथा सहर्धिमणी जैसे शब्द उसके पारिवारिक गरिमा एवं महत्व के परिचय माने जाते हैं। कन्याओं को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। पुत्री को भी उपनयन , शिक्षा एवं यज्ञादि का अधिकार प्राप्त था।"वैदिक समाज में पत्नियों के लिए जायदेस्तम शब्द का प्रयोग किया जाता है।

जिसका तात्पर्य होता है की पत्नी ही गृह है।" [2] इस काल में घोषा,आपला तथा विश्ववारा जैसी विदुषी महिलाओं की जानकारी प्राप्त होती है जो की उच्च शिक्षित तथा अनेक मंन्त्रो की रचियता थी। इस काल में महिलाओं को सम्पति का अधिकार था। ऋग्वैदिककाल में अनेक देवियों का उल्लेख मिलता है , जिसमें आदित्य , उषा , सरस्वती, श्रद्धा तथा इडा का नाम महत्वपूर्ण है ।

- **उत्तर वैदिक काल**

उत्तर वैदिक काल में पूर्व काल की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति गिरने लगा ।कन्याओं को उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया जिसके कारण उनकी शिक्षा अवरुद्ध हो गयी ।इस काल से संबंधित ऐतरेय ब्राह्मण में कन्याओं के जन्म की निंदा की गयी है तथा उनके जन्म को चिंता का कारण बताया गया है । "मित्रयणी संहिता में स्त्री को धूत तथा मदिरा की श्रेणी में रखा गया है ।" [3] स्त्रियों के लिए संगीत, नित्य तथा गायन को महत्व पूर्ण माना गया तथा वह पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी यज्ञ वल्लभ की पत्नी मैत्रेयी परम विदुषी महिला के रूप में साहित्य में वर्णित है ।राजा जनक के दरबार में गार्गी नामक विदुषी महिला का उल्लेख मिलता है ,जिसने यज्ञ वल्लभ को वाद विवाद में पराजित किया था । यद्यपि इस प्रकार के उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं । अविवाहित महिलाएं अपने पिता के साथ रहती थी । बहु विवाह का प्रचलन केवल धनिक वर्ग एवं शासक वर्ग में ही प्रचलित था । " उत्तर वैदिक काल में विधवा स्त्री को पुर्निविवाह एवं नियोग का अधिकार प्राप्त था ,इसलिए पुत्र प्राप्ति पर अत्यधिक जोर दिया जाता था ।" [4] समान्यतः विवाह सजातीय होते थे परंतु कभी–कभी अंन्तर्जातीय विवाह के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं।

- **सूत्र काल**

सूत्र काल में स्त्रियों की स्थिति निम्न होने लगी तथा उस पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध आरोपित किए जाने लगे। वशिष्ठ धर्म सूत्र में स्त्रियों को स्वतंत्रता के योग नहीं माना गया। "बाल्यवस्था में पिता उसकी रक्षा करता है,यौवनावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार स्त्री किसी पुरुष पर आश्रित होकर ही सुरक्षा एवं सम्मान प्राप्त कर सकती थी।'' [5] इस काल में यदि कोई कन्या यौवनावस्था प्राप्त कर लेती है तथा उसका पिता उसका विवाह नहीं करता तो वह कन्या स्वयं अपना विवाह कर सकती थी। महाकाव्य काल में एक स्त्री के अनेक पतियों का उल्लेख मिलता है कुलीन महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था होती थी। महाभारत में स्त्री को धर्म,अर्थ तथा काम का मूल बताया गया है तथा उनको समृद्धि का प्रतीक माना गया स्वयंवर प्रथा, सती प्रथा, नियोग प्रथा तथा बहु विवाह का प्रचलन इस काल में मिलता है, यद्यपि यह प्रथाएं केवल उच्च वर्ग तक की समिति थी।

- **मौर्य काल**

मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति पूर्ववत बनी रही। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक यूनानी कन्या से विवाह करना तत्कालीन समाज के लिए एक अनोखी घटना थी। इस काल में स्वयंवर प्रथा तथा विशेष परिस्थितियों में विवाह विच्छेद का अधिकार स्त्रियों को प्राप्त था पजिसके लिए कौटिल्य ने मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है। मेगास्थनीज के अनुसार विवाह का मूल्य लक्ष्य जीवन साथी प्राप्त करना ,भोग तथा संतानोंत्पत्ति था। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही विशेष परिस्थितियों में पूर्ण विवाह कर सकते थे। विधवा स्त्री अपने ससुर की अनुमति से विवाह कर सकती थी। "संगोत्र, सपिण्ड तथा संप्रवर

विवाह का निषेध किया गया बहु विवाह का प्रचलन था परंतु उसका दायरा बहुत ही सीमित था।''[6] इस काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं मिलता है। चंद्रगुप्त ने अपनी अगंरक्षिकाओ के रूप में स्त्रियों को नियुक्त किया था। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में स्त्रियों के लिए असूर्यपश्य शब्द का प्रयोग किया जिसका तात्पर्य होता है, सूर्य को ना देखने वाली स्त्री।

- **सतवाहन काल**

सतवाहन काल के शासको द्वारा अपने नाम के साथ अपनी माता के नाम प्रयोग करके स्त्रियों के सम्मान को प्रदर्शित किया गया। यद्यपि उत्तराधिकारी के रूप में पुरुष का ही चयन होता था। इस काल में सातकरणी प्रथम की पत्नी नगानिका तथा गौतमी सातकरणी की माता गौतमी बलश्री ने प्रशासन में सक्रिय रूप में भाग लिया। "इस कालखंड में स्त्रियों के द्वारा बड़ी मात्रा में दान दिए जाने का उल्लेख तत्कालीन अभिलेखों में प्राप्त होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं को संपत्ति संबंधित अधिकार प्राप्त होते थे।'' [7]

- **गुप्त काल**

गुप्त काल में महिलाओं को प्रतिष्ठित स्थान प्रदान किया गया था तथा उनके जन्म को दुर्भाग्य का कारण नहीं माना जाता था। यद्यपि पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता था। कालिदास की रचना कुमार संभव में कन्या को कुल का प्राण कहा गया है। स्नेह एवं सम्मान की दृष्टि से पुत्र एवं कन्या में भेद कम किया जाता था।" स्त्री का पद माता एवं पत्नी के रूप में ऊंचा था तथा उसे स्त्री रत्न एवं वीरप्रसविनी नाम से संबोधित किया जाता था।'' [8] गुप्त काल में पर्दा प्रथा का सामान्य प्रचलन नहीं मिलता तथा महिलाएं स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर सकती थी। परंतु गुप्त काल में ही पहली बार घूंघट शब्द का प्रचलन मिलता है। जिससे यह प्रतीत होता है कि कुलीन वर्ग की महिलाएं घर से बाहर जाते हुए अपने मुंह ढक कर चलती थी।" नारद तथा कात्यायन जैसे स्मृतिकारो ने कन्या को पिता की संपत्ति में अधिकार प्रदान किया है ।'' [9] इस काल में महिलाएं राजनीतिक कार्य में भाग लेती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात वाकाटक वंश के प्रशासन को कुशलतापूर्वक संचालित किया ।

- **हर्षवर्धन काल**

हर्षवर्धन के शासनकाल में महिलाओं की स्थिति गुप्त काल के समान प्रतीत होती है। हर्षवर्धन के माता यशोमती अपने पति की मृत्यु के पश्चात सती हो गई थी। इसके अतिरिक्त हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री अपने पति की मृत्यु के बाद सती होने का प्रयास करती है परंतु हर्षवर्धन द्वारा उसे रोक लिया जाता है। इस काल में पुनर्विवाह जैसी प्रथा धीरे – धीरे समाप्त हो रही थी। "अंर्जजातीय विवाह का प्रचलन मिलता है। कुलीन वर्ग के लोग एक से अधिक विवाह करते थे परंतु एक से अधिक पत्नी होने पर सभी की देखरेख करने की जिम्मेदारी पति की होती थी। '' [10]

- **दिल्ली सल्तनत**

इस काल में स्त्रियों के अधिकारों एवं स्थिति में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। विदेशी आक्रमणों के प्रचुरता के कारण सामाजिक व्यवस्था को अत्यंत कठोर बना दिया गया। इस काल में भारत का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पतन के लक्षण

दिखाई देते हैं। "इस काल के साहित्य एवं ललित कलाओं में महिलाओं को एक भोग्य के रूप में प्रदर्शित किया गया है।'' [11] इस काल में बाल विवाह, बहु विवाह ने स्त्रियों के दशा को शोचनीय स्थिति में पहुंचा दिया था। पुत्री के जन्म होते–होते ही उसकी हत्या की जाने लगी। जिससे के आगे चलकर उसकी सुरक्षा के लिए कोई प्रयास न करना पड़े । यदि वह कन्या इस बाल हत्या से बच जाती थी तो बाल्यावस्था में उसका विवाह कर दिया जाता था। उच्च वर्ण की स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। मेघा तिथि में लिखा है कि विवाहित स्त्रियों को पति की हर प्रकार से सेवा करनी चाहिए। "यद्यपि पति के अत्याचारी होने की स्थिति में उसे राजा से न्याय प्रार्थना करने का अधिकार प्राप्त था।'' [12] उत्तराधिकार एवं संपत्ति में उनको पहले से अधिक अधिकार प्रदान किए गए थे।

- **राजपूत काल**

राजपूत काल में महिलाओं को सम्मान का विषय माना जाता था। राजपूत अपनी पत्नियों से प्रेम करते थे तथा मान मर्यादा एवं अस्तित्व के रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देते थे। राजपूत कुलों में महिलाओं को अपना वर चुनने के लिए स्वयंवर का अधिकार प्राप्त था। राजपूत काल में बाल विवाह बड़े पैमाने पर होने लगा था। समाज में सती प्रथा एवं जौहर प्रथा जैसी परंपरा चल रही थी। जौहर प्रथा के अंतर्गत राजपूत महिलाएं सामूहिक रूप से आत्मदाह करती थी। विधवाओं को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था तथा उनके दर्शन मात्र को अशुभ माना जाता था। धार्मिक कार्यों से उनको वंचित कर दिया गया था। उनके सिर के बाल को मुडवा दिया जाता था। "चालुक्य वंशीय विजयभट्टारिका तथा कश्मीर की रानी दिद्दा ने सफलता पूर्वक प्रशासन का संचालन किया।'' [13] चालुक्य शासन के दौरान अनेक महिलाओं को शासक के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त अनेक प्रशासनिक पदों पर महिलाओं ने सफलतापूर्वक कार्य किया।

- **सल्तनत काल**

सल्तनत काल के पूर्व पीठीका तक पहुंचते – पहुंचते समाज में महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट आ गई थी। इस्लाम के भारत आगमन पर हिंदू परंपराओं में मोड पैदा हुआ और नारी को घर की चार दिवारी में आश्रम मिला पर्दे की परंपरा का आगज हो गया था। समुदाय में औरतों को अलग रखने की प्रवृत्ति थी, जो आज तक अनवरत है। बेटियों का जन्म सल्तनत काल में अशुभ हो गया था। इस काल के राजपूत बेटी के जन्म को अशुभ समझते थे। यह बात समाज में भी लागू की गयी। "यदि राजघराने का या सामान्य परिवार में बेटी पैदा हो जाती थी, तो उस औरत के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। आज भी भूर्ण हत्या का पाप इसी प्रथा का परिणाम है ।'' [14]

- **मध्य काल**

मध्यकाल में विदेशियों के आगमन से स्त्रियों की स्थिति में जबरदस्त गिरावट आयी। अशिक्षा और रूढ़िया जकड़ती गई , नारीयां घर की चार दिवारी में कैद होती गई और नारी एक अबला रमणीय और भोग्य बनकर रह गयी। आर्य आदि समाज सेवी संस्थाओं ने नारी शिक्षा के लिए प्रयास आरंभ किया। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध्द में भारत के कुछ समाज सेवियों जैसे राजा राममोहन राय , दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर तथा केशव चंद्र सेन ने अत्याचारी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठायी। उन्होंने तत्कालीन सामाजिक शासको के समक्ष स्त्री पुरुष समानता, स्त्री शिक्षा, सती प्रथा पर रोक तथा बहु विवाह पर रोक की आवाज उठायी।

भारत के प्राचीन इतिहास का विश्लेषण करने से हमारे सामने जो तथ्य आता है कि भारतीय महिला की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है। प्रारंभिक दौर में महिलाओं को अनेक अधिकार प्राप्त थे, वहीं धीरे–धीरे उनकी स्थिति में गिरावट होने लगी। पूर्व मध्यकालीन तक आते – आते महिलाएं भोग विलास की सामग्री के रूप में प्रस्तुत किये जाने लगी। इस कालखंड में खजुराहो से प्राप्त अश्लील चित्र उनकी इस स्थिति का घोतक है। इसी प्रकार इस कालखंड में लिखित साहित्य में महिलाओं के संबंध में अश्लीलता का परिचय मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई उस समय तक भारतीय समाज नारियों के प्रति अपनी निम्नतम स्थिति में पहुंच चुका था। महिलाओं से संबंधित कुरीतियां अब तक भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग बन चुका था ।

❋ समस्या का विधान (Statement of the problem) :–

वर्तमान में मनुष्य के अंदर से इंसानियत लगभग खत्म होती जा रही है। लोग स्वार्थ के लिए किसी का भी शोषण करने को तैयार है और इनमें मुख्य रूप से शूद्र वर्ण तथा नारीयां पीड़ित है। हमारे देश में नारी सुरक्षा के लिए कई तरह के कानून है , उसके बावजूद हमारे समाज में नारीयों के साथ क्रूरता देखी जा सकती है। कानूनी तौर पर भले ही दहेज प्रथा, लैंगिक विभिन्नता, महिला भूर्ण हत्या इत्यादि के खिलाफ कड़े प्रावधान है, कहने को तो दहेज प्रथा, सती प्रथा ,कन्या भूर्ण हत्या बंद हो चुके हैं, कहने को हमारा समाज नारी और पुरुष में कोई अंतर नहीं करता परंतु यदि हम जमीनी स्तर पर देखें तो आज भी हमारे समाज में भूर्णहत्या , दहेज प्रथा तथा अन्य प्रकार के समस्याएं देखी जा सकती है। एक लड़की का पिता इसी चिंता में रहता है कि उसे आगे जाकर दहेज देनी होगी। सती प्रथा में महिलाओं को जबरन अपने पति के शव के साथ जिंदा जला दिया जाता था वैसे सती प्रथा बंद हो चुकी है, परंतु आज भी समाज के कई ऐसे वर्ग हैं जो परंपरा के नाम पर विधवाओं को एक जिंदा लाश के भांति बना देते हैं। गांधी तथा अंबेडकर ने महिला उत्थान के लिए अपनी ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण तथा सहरानीय कार्य किए हैं परंतु आज भी हम वहीं पुरुष प्रधान समाज में ही रहते हैं। मेरा यह शोध महिला उत्थान के बारे में गाँधी एवं आंबेडकर के योगदान को बताने के साथ साथ इन समस्याओं के बारे में समाज को जागरूक करने तथा उनके समाधान की ओर एक सही दिशा में कदम बढ़ाने का एक प्रयास होगा।

❋ समस्या का अनुसंधान (Research of the problem) :–

भारतीय संविधान में महिलाओं को समानता के अधिकार दिए तो गए हैं , फिर भी अपवाद छोड़कर यदि समग्रता से देखा जाए तो वर्तमान में भी भारतीय समाज की पुरुष प्रधान सोच के कारण अधिकतर महिलाएं अपना निर्णय स्वयं नहीं ले पाती है। संविधान में तमाम तरह के अधिकार मिले होने के बाद भी समाज में महिलाओं की स्थिति बेहद कमजोर है।

अतः मेरे यह शोध कार्य का उद्देश्य है कि गांधी और अंबेडकर के बताएं मार्ग पर चलकर महिलाएं समाज में अपने पूर्ण अधिकारों को समझ ले ।

❋ शोध का उद्देश्य (Objective of the study) :–

मेरे शोध कार्य का उद्देश्य महात्मा गांधी तथा डॉ भीमराव अंबेडकर के द्वारा महिला उत्थान के लिए किये गए योगदान का अध्ययन करना है। साथ ही इस शोध कार्य का उद्देश्य है। गांधी जी तथा अंबेडकर साहब के विचारों में समानता तथा असमानता पर प्रकाश डालना

व वर्तमान समाज में एक अच्छे तथा प्रगतिशील जीवन यापन हेतु समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए सोच को विकसित करना तथा उन पर हो रहे क्रूरता पर रोक लगाना है।

इसके अलावा इस शोधकार्य के कुछ अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं जैसे कीः—

* कानूनी तौर पर कड़े नियम होने के बावजूद भी महिलाएं आज भी असुरक्षित है इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है।
* आज की महिलाएं पहले से ज्यादा जागरुक है उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आज भी हम पुरुष प्रधान समाज में ही रहते हैं, इन बातो पर ध्यान देना।
* आज भी देश के कई स्थानों में बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता है, उनमें भी जागरूकता आये।
* लोगों तक यह संदेश पहुंचाना की आज की महिलाएं किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं है।
* कड़े कानून होने से कई महिलाएं इनका गलत फायदा भी उठती हैं हमें इस बात पर भी ध्यान देने के लिए जागरूकता फैलाना ।

परिकल्पना (Hypothesis) : —

भारतीय संविधान पुरुष और महिला को बराबरी का दर्जा देता है ।संविधान की दृष्टि में दोनों सामान है। स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए अनेक प्रयास हुए है। इन प्रयासों को दो श्रेणी में बांटा जा सकता है ,पहले श्रेणी में वे प्रयास रखे जा सकते हैं जिन्होंने महिलाओं को शोषण और उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए अनेक प्रावधान और कानून बनाए हैं, घरेलू हिंसा का कानून ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कानून है। दूसरी श्रेणी में यह प्रयास आते हैं , जिसमे नारी क्षमता की संवर्धन के लिए प्रोत्साहन की योजनाएं बनाई गई ।अपनी उन्नति और विकास के लिए महिला को उन समस्त विधिक आयामो का ज्ञान होना चाहिए जो उसे शोषण से मुक्ति दिलाने और अवसरों का लाभ उठाने के योग बनाते है।

इस शोध कार्य में गांधी और अंबेडकर का नारी उत्थान की योगदान का तुलनात्मक अध्ययन करना है ।साथी महिलाओं को समाज में स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिलाना है, ताकि महिलाएं समाज और देश के विकास में अपना सर्वोच्च योगदान दे सके ,क्योंकि जिस समाज और देश में महिलाये ज्यादा योगदान देती है वह देश अधिक विकास करता है ।

शोध की विधि (Research methodology) : —

प्रस्तुत शोध की विधि में ऐतिहासिक शोध विधि एवं विश्लेषणात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया है। ऐतिहासिक शोध के अंतर्गत अतीत में क्या था इसका अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया जाता है तथा इस प्रक्रिया में सामान्य कारण की खोज करने के उद्देश्य से अतीत की उन घटनाओं का अभिलेखन तथा व्याख्या करना रहता है। जो अतीत व वर्तमान को समझने के साथ — साथ भविष्य का अनुमान लगाने में सहायक होती है। वही विश्लेषणात्मक अनुसंधान का उद्देश्य उपलब्ध तथ्यों सूचनाओं या साक्ष्य आदि का विश्लेषण करके उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना

होता है। चूँकि प्रस्तुत शोध में गांधीजी और अंबेडकर साहब के विचारों का नारी उत्थान के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करना है। जिसके लिए हम ऐतिहासिक शोध विधि एवं विश्लेषणात्मक शोध विधि का प्रयोग करेंगे।

❋ शोध में प्रयुक्त श्रोत (Tools to be used in the collection of data and analysis) :–

प्रस्तुत शोध में तथ्यों के संकलन के लिए दो माध्यमों का प्रयोग किया गया है। प्रथम माध्यम के अंतर्गत प्राथमिक स्रोतों का संकलन तथा द्वितीय माध्यम के अंतर्गत द्वितीय स्रोतों का संकलन किया गया है। प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत प्रमाणिक अभिलेख, संवैधानिक दस्तावेजों तथा गांधी जी द्वारा स्वयं की लिखी गई पुस्तकों तथा आत्मकथाओं के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग तथा अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए पुस्तकों का उपयोग किया गया है एवं द्वितीय स्रोत के अंतर्गत संदर्भ पुस्तकों आदि का प्रयोग किया गया है ।

❋ शोध कार्य का महत्व (Significance of reserch work) :–

हमारा समाज मूल रूप से पुरुष प्रधान रहा है। पहले महिलाओं के पास किसी भी प्रकार के स्वतंत्रता ना होने के कारण उनकी सामाजिक व पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जिसे हर कदम पर एक पुरुष के सहारे की जरूरत होती थी। वैसे तो आजादी के बाद से ही महिला उत्थान के उद्देश्य से विभिन्न प्रयास किए जाते रहे हैं। हमारे देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाओ की हैं, जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को स्वीकार किया गया है क्योंकि महिलाएं एवं पुरुष विकास रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। जहाँ यदि एक पहिये पर रोक लगा दी जाये तो पूर्ण विकाश संभव नही है । महिलाएं राज्य के विकास में उतनी ही महत्व रखती है जितना की पुरुष रखते है। देश का सर्वांगीन विकास महिलाओं की भागीदारी के बगैर संभव नहीं है। भारतीय महिलाओं ने देश दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में अपना सम्मानित स्थान बनाया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो, राष्ट्र के विकास की अग्रदूत बनी महिलाएं केवल देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपना तथा अपने देश का परचम लहराया है।

❋ वर्तमान ज्ञान में योगदान (Contribution to the current knowledge):–

वर्तमान समय में भारतीय सरकार द्वारा नारियों के उत्थान के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम एवं योजनाओं को प्रचारित किया जा रहा है, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, महिला प्रति सिलाई मशीन योजना, पीएम जननी सुरक्षा योजना, स्त्री स्वाभिमान योजना, महिला के लिए विधवा पेंशन, महिला सम्मान बचत पत्र योजना इत्यादि लेकिन इन कार्यक्रमों एवं योजनाओं को यदि हम जमीनी स्तर पर देखें तो सभी महिलाओं तक इन योजनाओं का लाभ उचित ढंग से ना पहुंच पाने के कारण महिलाएं अपेक्षित लाभ नहीं ले पा रही है । यह कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति में बहुत हद तक सुधार हुआ हैं स भारत के सर्वोच्य पद पर महिलाए पद स्थापित हुई है, जैसे उदाहरण के लिए हम बात पूर्व राष्टपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल की करे या वर्तमान की श्रीमती द्रोपती मुर्मू की ,प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंद्रा गाँधी । आज के दौर के पुरुष इन उदाहरणों को देखकर कहते हैं कि क्या यह लोग आगे नहीं बढे? पर अगर इन्हें भी

छूट नहीं मिलती तो क्या यह उसे पद तक पहुंच पाती ? हमें खुद से पूछना चाहिए की क्या वास्तव में हम स्वतंत्र हैं ? क्या वास्तव में नारियों को हर काम करने की छूट है जो कि पुरुषों का है ? हमें कहीं ना कहीं यह मानना ही पड़ेगा कि आज भी हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं जहां महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कमजोर समझा जाता है।

इस संदर्भ में गांधी और अंबेडकर ने बहुत ही काम किए हैं और उनके विचार उल्लेखनी है। महिलाओं को , स्वावलंबी आत्मनिर्भर और समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने कई तरह के कार्य किया और कई तरह के कानून बनाए है परंतु इन सब के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं महिलाओ को पुरुषों के समान कहने से हिचकीचाते हैं। मेरा यह शोध कार्य इस बात पर जोर देता है कि गाँधी एवं अम्बेडकर ने महिला के उत्थान के लिए क्या क्या योगदान दिया, उसका तुलनात्मक अध्यन किया जायेगा।

✹ <u>शोध की सीमाए (Limitation of the research work) :</u>–

किसी भी शोध को पूर्ण करने के लिए उसकी सीमा का निर्धारण करना आवश्यक होता है क्योंकि बिना सीमा तय किए शोध प्रबंध की लेखनी में बिखराव की आशंका बनी रहती है।

अतः प्रस्तुत शोध की तय सीमा निम्नलिखित है :–

1. प्रस्तुत शोध का अध्ययन मुक्त भारतीय नारी की स्थिति के संदर्भ में किया जाएगा।
2. प्रस्तुत शोध में गांधी एवं अंबेडकर के नारी उत्थान के विचारों तथा कार्यों के अध्ययन तक सीमित किया जाएगा।
3. प्रस्तुत शोध में समय सीमा के अंतर्गत प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक नारी की स्थिति का अध्ययन किया जाएगा।
4. प्रस्तुत शोध में नारियों के उत्थान को उतना ही छुट दी जाएगी जिससे की उन्हें पुरुषो के बराबरी का हक मिले ना की समाज को महिला प्रधान के ओर उकसाना ।
5. प्रस्तुत शोध में इस बात का ध्यान रखा जायेगा की किसी भी धर्म और जाति के आस्था को आहत ना हो।

✹ <u>भविष्य में कार्य होने की संभावना (Possibility of future work) :</u>–

नारी का सम्मान करना एवं उनके हितों की रक्षा करना हमारे देश की सदियों पुरानी संस्कृति है। यह एक विडंबना ही है कि भारतीय समाज में नारी की स्थिति अत्यंत विरोधाभासी रही है । एक तरफ तो उसे शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है वही दूसरी ओर उसे अबला भी कहा जाता है। इन दोनों ही अतिवादी धारणाओं ने नारी के स्वतंत्र विकास में बाधा पहुंचाई हैं। नारी आज समाज में प्रतिष्ठित और सम्मानित हो रही वह अब घर की लक्ष्मी ही नहीं रह गई है अपितु घर से बाहर समाज का दायित्व निर्वाह करने के लिए आगे बढ़ आई हैं। वह घर की चार दिवारी से अपने कदम को बठाती हुई समाज के विकलांग दशा को सुधारने के लिए कार्यरत हो रही हैं। महिलाओ में किसी प्रकार की शक्ति और क्षमता की कमी नहीं है केवल अवसर मिलने की देरी होती है। महिला शक्ति के प्रयोग से देश और समाज का बहुत तेजी से विकास होगा स इसीलिए भविष्य में भी महिलाओ का विकास होना महत्वपूर्ण है। इस सन्दर्भ में महिला उत्थान के लिए गांधीजी और अंबेडकर जी का विचार भविष्य में भी कार्य करने की क्षमता रखता है।

✸ **संभावित अध्यायीकरण (Tentative chapterization) :–**

- ❖ भूमिका
- ❖ प्रथम अध्याय : भारत में नारियो का सामाजिक इतिहास
- ❖ द्वितीय अध्याय : नारी उत्थान में गांधीजी के योगदान
- ❖ तृतीय अध्याय : नारी उत्थान में बाबा साहेब आंबेडकर के योगदान
- ❖ चतुर्थ अध्याय : नारी उत्थान में गांधी तथा अम्बेडकर के योगदान का तुलनात्मक अध्ययन
- ❖ पंचम अध्याय : नारी के विकास की स्थिति में सुधारने संबंधी भविष्यमूलक सुझाव
- ❖ निष्कर्ष

➢ **भूमिका:–**

भारत में महिलाओं की स्थिति निरंतर परिवर्तनशील रही है चाहे वह उत्थान से पतन की ओर हो या पतन से उत्थान की ओर हो। किसी भी राष्ट्र के महत्वपूर्ण आयाम को पूर्ण करने हेतु नारी का उत्थान आवश्यक है। भारत में विभिन्न संस्कृति का संगम है भारतीय संस्कृति में अनादि काल से ही नारी शक्ति की पूजा की गई है तथा जहां भी नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्राचीन काल में स्त्रियों को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे।" हमारे अतीत में गार्गी, मैत्री आदि ऐसी अनेकों नारियां हुई है जिनको सामान्य जनक स्थान प्राप्त था।"[15]

"महिला हर संस्कृति के केंद्र में होकर भी केंद्र से दूर है सिमोन द बोउवार का कथन है कि स्त्री पैदा नहीं होती है बनाई जाती है। '[16] समाज अपनी आवश्यकता के अनुसार स्त्री को ढालते आया है।

➢ **प्रथम अध्याय :भारत में नारियो का सामाजिक इतिहास**

भारत के इतिहास में विभिन्न कालों में महिलाओं की स्थिति में बहुत ही उतार – चढ़ाव देखा गया है।विशेष रूप से ऋगवैदिक काल , उतर वैदिक काल, मध्य वैदिक काल और उसके बाद। उदाहरण के तौर पर ऋगवैदिक काल में महिलाओं के पास धार्मिक और सामाजिक उत्तराधिकार था, महिलाएं यज्ञों में भाग लेती थी और कुछ महिलाएं ऋषियां भी थी जैसे की वॉच देवी । उसके उपरांत उतर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में कमी देखने को मिली और उन्हें घर में ही बंद रखा जाता था ।

समाज में पुरुषों की तुलना में महिलाओं कमजोर समझा जाने लगा उन्हें पुरुषों के पीछे रहने को मजबूर कर दिया गया। उसके बाद मध्य वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ । उन्हें समाज में थोड़ा सा अधिक समर्थन मिलने लगा । महिलाएं धार्मिक कार्य क्षेत्र में अपना योगदान के लिए प्रशंसा प्राप्त करने लगी और कुछ महिलाएं शिक्षिका वह पंडित भी बनी।

ब्रिटिश शासन के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। इस सुधार के होने में कई बड़े–बड़े नेताओं का हाथ था जैसे महात्मा गांधी, डॉ भीमराव अंबेडकर, लाला लाजपत राय इत्यादि। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी महिलाएं अपनी अधिकारों के पक्ष में उतरी । स्वतंत्रता के लड़ाई के वक्त

भी महिलाएं अपनी क्षमता को समझ चुकी थी और उन्होंने भी पूर्ण जोर लगाया कि उन्हें भी पुरुषों के समान समझा जाए परंतु हमारे समाज में उतनी जागरूकता नहीं आई थी। महात्मा गांधी जी ने लोगों को जागरूक करने का जिम्मा उठाया साथी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कानूनी तौर पर महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए कानून का निर्माण किया।

➢ द्वितीय अध्याय : नारी उत्थान में गांधीजी के योगदान

महात्मा गांधी ने अपने पूरे आंदोलन में स्त्रियों के सुधार की बात की है। खुद बाल विवाह किये हुए गांधीजी भी इस बात को गलत मानते है इसीलिए उन्होंने अपने पुस्कत द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में गांधीजी कहते है "जिस उम्र में मेरा विवाह हुआ मैं उसी उम्र के किशोर को अपनी छत्रछाया में देखता हूं और फिर अपने विवाह के बारे में सोचता हूं। तब मुझे अपने ऊपर दया आती है और उन्हें मैं अपनी पीड़ा से बचने के लिए बधाई देता हूं मैं अपनी विचलित कर देने वाले बाल विवाह के पक्ष में कोई आदर्श विचार नहीं रख पाता हूं ।'' (17) इससे साफ पता चलता है की गाँधीजी बाल विवाह से शक्त निंदा करते थे गांधी के अनुसार जिन्हें हम अबला कहते हैं जब वह सबला बन जाती है तो सभी शक्तिहीनो को शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति, समाज के पुनर्निर्माण और चहुँमुखी प्रगति के लिए महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण माना है।'' (18)

➢ तृतीय अध्याय : नारी उत्थान में आंबेडकर के योगदान

अंबेडकर की शोधपरक और विश्लेष्णात्मक दृष्टि ने सर्वप्रथम भारत नारी की स्थिति में हुए पतन के कारणों को जानने का प्रयास किया। इसी शोध के आधार पर उन्होंने ''हिंदू नारी का उत्थान और पतन'' नामक किताब में वैदिक समय में नारी के उत्थान को रेखांकित करते हुए ऐतिहासिक तथ्यों का उपयोग किया और बताया कि ''भारत में जिस काल में नारी की स्थिति सम्मनिया और बराबरी की थी उस काल में समाज विकासशील था, जब नारी की स्थिति अवंत हुई तो समाज पतन की स्थिति में पहुंच गया।'' (19) उनका कहना था कि मैं किसी भी समाज की प्रगति इस आधार पर मापता हूं कि उसके नारी के किस सीमा तक प्रगति की है।

➢ चतुर्थ अध्याय : नारी उत्थान में गांधी तथा अम्बेडकर के योगदान का तुलनात्मक अध्यन

गांधी स्त्री पुरुष समानता के पक्षधर थे । उनका मानना था कि स्त्री, पुरुष की गुलाम नहीं है, वह अर्धांगिनी है। उसको मित्र समझना चाहिए। उनको अबला कहना उनका अपमान करना है। अगर ताकत का अर्थ पाश्विक शक्ति से है तो अवश्य ही पुरुष की अपेक्षा स्त्री में कम पशुता है, पर इसका मतलब नैतिक शक्ति से है तो अवश्य ही पुरुष की अपेक्षा स्त्री ही अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने बाल विवाह, देवदासी प्रथा का घोर विरोध किया। वह विधवा विवाह तथा अंतर धार्मिक विवाह के समर्थक थे। उन्होंने वैश्यावती स्त्रियों की खरीद फरोख्त के विरुद्ध भी खुलकर आवाज उठाई । उन्होंने स्त्री को संपत्ति मानने से इनकार किया । वह उन्हें सामाजिक–आर्थिक मुख्यधारा से जोड़कर सशक्त बनाने के पक्षधर थे।

डॉ अंबेडकर साहब समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे तिरस्कार को लेकर चिंतित थे। हिंदू स्त्रियों के पतन का जिम्मेदार मनु को ठहराते हुए उन्होंने अपनी पुस्तक "हिंदू नारी का उत्थान व पतन" में लिखा है कि ''हिंदू नारी का पतन का जिम्मेदार हिंदुओं का शास्त्र रचयता मनु ही था इनका कोई अन्य उत्तर हो ही नहीं सकता । नारी सम्मान को वह इतना अधिक महत्व देते थे कि एक महिला मजदूर को अपमानित करने पर अपने बड़े भाई को घर से निकाल दिया । महिलाओं के समर्थन वाला हिंदू कोड बिल 1951, डॉ अंबेडकर ने ही पेश किया था। इस बिल का जो भाग स्वीकार किया गया इससे महिलाओं को कुछ परिस्थितियों में पति से तलाक लेने, विधवा विवाह तथा पैतृक संपत्ति पाने का अधिकार व प्रसूति अवकाश का अधिकार मिल गया। उन्होंने कहा था कि ''मैं किसी समाज की प्रगति इस आधार को मानता हूं कि उसे समाज में नारी ने कितनी प्रगति की है''।

अतः स्पष्ट है कि गांधी जी व अंबेडकर साहब दोनों ही स्त्रियों के समाज में प्रतिष्ठा दिलाने व उनके प्रगति के पक्षधर थे। दोनों ने स्त्री को सामाजिक विकास की धुरी मानते हुए , उसकी दयनीय दशा के विरुद्ध आवाज उठाई और सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति दिलायी ।

➢ पंचम अध्याय : नारी के विकास की स्थिति में सुधरने सम्बन्धी भविष्यमूलक सुझाव

समाज और राष्ट्र के साथ साथ देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह नारी के उत्थान में अपना सहयोग और प्रोत्साहन दे ।समाज और राष्ट्र को चाहिए कि वह नारी की मर्यादा और उनकी इज्जत का जी जान से रक्षा करें ,ताकि उन्हें एक खुला वातावरण प्राप्त हो सके। आज भी समाज में नारी तमाम तरह के बंधनों में जकड़ी है ,राष्ट्र और समाज नारी को इन बंधनों से मुक्ति दिलाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें स्वयं नारियों को भी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए तब नारी उत्थान किसी सीमा तक सफल हो पाएगा ।

➢ निष्कर्ष

यह कहा जा सकता है कि विभिन्न वैचारिक समानताओं एवं असमानताओं के बावजूद गांधी और अंबेडकर जी एक दूसरे के पूरक हैं उन्हें अलग – अलग ध्रुव पर स्थापित करने के बजाय एक दृष्टि से देखना चाहिए । दोनों ने समाज को अलग–अलग रूपों में प्रभावित किया परंतु दोनों की मंजिल एक थी , समानता के आधार पर समाज का पूर्ण निर्माण , समाज मे नारियों को समान अधिकार एवं न्याय दिलाना परंतु दोनों ही महान पुरुषों के तरीके अलग–अलग थे।

संदर्भ सूची (Reference) :–

1. पाण्डेय डॉ० राजेंद्र, भारत का सांस्कृतिक इतिहास, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, लखनऊ, द्वितीय संकरण 1983, पृष्ठ संख्या 27
2. विद्यालंकार सत्यकेतु , मौर्य साम्राज्य का इतिहास, श्री सरस्वती सदन ,नई दिल्ली, 2017, पृष्ठ संख्या 1613.
3. वाशम एव एलव, अम्दुत भारत, शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी, आगरा, पृष्ठ संख्या 40
4. झा द्विजर्न्दनारायण ,श्रीमाली कृष्ण मोहन ,प्राचीन भारत का इतिहास ,हिंदी मध्यम कार्यान्वय निदेशालय , दिल्ली विश्वविद्यालय, 2001, पृष्ठ संख्या 232
5. जैन डॉ0 कैलाश चंद्र ,प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक संस्थाएं ,मध्य प्रदेश हिंदी अकादमी ग्रंथ ,भोपाल, 1987, पृष्ठ संख्या 40
6. थापर रोमिला, भारत का इतिहास ,राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1993, पृष्ठ संख्या 85
7. मराशी डॉ0 वासुदेव विष्णु, सातवाहन एवं पश्चिमी जत्रपो का इतिहास एवं अभिलेख,उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ,लखनऊ, 1982 , पृष्ठ संख्या 3
8. शास्त्री नीलकंठ ,ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ,1966, पृष्ठ संख्या 190
9. श्रीवास्तव नीरज, मध्यकालीन भारत प्रशासन, समाज एवं संस्कृति ,ओरिएंट द्वितीय संकरण , 2018, पृष्ठ संख्या 15
10. प्रकाश ओम ,प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, पंचम संकरण , 2001, विश्व प्रकाशन ,पृष्ठ संख्या 234
11. पांडेय डॉ० सुष्मिता, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था एवं धर्म, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल , प्रथम संस्करण , 1991 ,पृष्ठ संख्या 189
12. ग्रिह्मसुत्र आपथतम्ब, चिन्नास्वामी शास्त्री संव चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, 1928, पृष्ठ संख्या 45
13. रामशरण शर्मा ,सोशल चेंजिंग इन अली मेडविल इंडिया, नई दिल्ली ,पूर्ण संकरण ,1991, पृष्ठ संख्या 78
14. भाकर राजवीर ,गौर वंश का इतिहास
15. सिंह राजबाला, मानव अधिकार और महिलाएं, आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर जयपुर, 2006 , पृष्ठ संख्या – 142, 64, 57, 113, 66
16. सीमोन द बोउवार और उनकी किताब द सेकंड सेक्स का नारीवाद में योगदान
17. गांधी की सामाजिक विचार इकाई 9 / रूपरेखा 9.1 पृष्ठ संख्या 95
18. द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ध्अध्याय 3 ‎६ पृष्ठ संख्या 24 25
19. अंबेडकर डॉ०वी आर ,हिंदू नारी का उत्थान और पतन ,सम्यक प्रकाशन ,32ध्3 , पश्चिमपुरी, नई दिल्ली –110063 प्रथम संस्करण : 2003 ,चतुर्थ संस्करण : 2018

ग्रन्थ सूची (Bibliography) :

मूल ग्रंथ :–

1. अंबेडकर डॉ० बी आर, हिंदू नारी का उत्थान और पतन, सम्यक प्रकाशन, 32 / 3, पश्चिमपुरी, नई दिल्ली– 110063, प्रथम संस्करण : 2003, चतुर्थ संस्करणः 2018
2. गांधी करमचंद मोहन दास ,मेरे सपनों का भारत, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, 1960
3. गांधी करमचंद मोहन दास ,सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा ,नवजीवन पब्लिकेशन हाउस , अहमदाबाद ,1963
4. गांधी करमचंद मोहन दास, वूमेन्स रोल इन, नवजीवन पब्लिकेशन हाउस ,अहमदाबाद, 1969
5. परिहार डॉव एम.एल. बाबासाहेब आंबेडकर एंड मिशन, बुधम पब्लिशर्स, 21 A धर्म पार्क, श्यामनगर – 11 अजमेर रोड, जयपुर –302019
6. वासनिक विनय कुमार, डॉ० भीमराव अंबेडकर के प्रेरक भाषण, सम्यक प्रकाशन, 32 / 3 पश्चिमपुरी, नई दिल्ली – 110063, प्रथम संस्करणः 2014, द्वितीय संस्करणः 2019
7. शास्त्री सोहनलाल, हिंदू कोड बिल और डॉव अंबेडकर, सम्यक प्रकाशन , 32 / 3, पश्चिम पुरी, नई दिल्ली 63, चतुर्थ संस्करण : 2003, अष्टम संस्करण : 2018, नवम संस्करण : 2022
8. संपूर्ण गांधी वाड्मय, पब्लिकेशन डिविजन, मिनिस्ट्री ऑफ इनफार्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, कास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली खंड 1 से 90
9. श्रीवास्तव कृष्ण चंद्र, प्राचीन भारत के इतिहास तथा संस्कृति, प्रकाशक : यूनाइटेड बुक डिपो 21, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद – 211002

सहायक ग्रन्थ :–

1. अहमद डॉ०लईक, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2002
2. गुप्त, मोहिनी खंड विश्व प्रकाश, (1999):'' स्वतंत्रता संग्राम एवं महिलाएं'', पूर्व संदर्भित ,पृ० 436
3. ग्रोवर बी०एल० यशपाल,आधुनिक भारत का इतिहास, एस चंद्र एंड कंपनी नई दिल्ली, 2006
4. गर्जाभये, डॉ०अनिल, हिंदू कोड बिल इतिहास और संघर्ष सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली, 2015
5. चट्टोपध्याय, कमला देवी, (1939) ''द अवेकिंग ऑफ इंडिया वूमेन'', पूर्व संदर्भित, पृ० 173
6. चंद्रावरकर, जी०एल० आधुनिक भारत के निर्माता (छोड़ो केशव कर्वे) प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ,भारत सरकार ,1977
7. जोशी, गोपा, भारत में स्त्री असमानता, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ,2015
8. झा एवं श्रीमती, प्राचीन भारत का इतिहास, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 2009
9. झा,ड़ी०एन,प्राचीन भारत, मनोहर पब्लिशर्स, दिल्ली ,2012
10. ठाकुर , भारती, (2004) ''रोल ऑफ वुमेन इन गांधीज मास मूवमेंट '',पूर्व संदर्भित, पृ० 102

11. ठाकुर, भारती (2004) :''रोल ऑफ वीमेन इन गांधीज मास मूवमेंट'', पूर्व संदर्भित, पृ० 325
12. डॉ० नीलम, महिला सशक्तिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग ,गौतम बुक सेंटर, 2015
13. नौरागी,एल०एल०, (1997): ''भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान'', सुरभि प्रकाशन, जयपुर, पृ०1206.
14. पायली, एम०बी०भारतीय संविधान, यूनाइटेड बुक हाउस, नई दिल्ली, 1977
15. पात्रा, रीना, (1996):'' वुमेन ऑफ मिदनापुर इन इंडिया फ्रिडम स्ट्रगल'', रत्न पब्लिकेशन,कलकता पृ० 226
16. प्रो० राधेशरण, मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति (1200 – 1750 ई)मध्य प्रदेश हिंदी अकादमी , 2007
17. पुजारी, विजय कुमार डॉ० अंबेडकर, जीवन दर्शन गौतम बुक सेंटर, दिल्ली, 2010
18. बाला, उषा ,(1989):'' इंडियन वूमेन फ्रीडम फाइट्स'',मनोहर पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ० 242
19. मजूमदार डॉ० रमेश चंद्र, प्राचीन भारत, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली, 1954
20. प्रो० राधेशरण, मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति (1200 – 1750 ई)मध्य प्रदेश हिंदी अकादमी , 2007
21. मोदी, वी नवाज (2002) ''वुमेन इन इंडियाज फ्रिडम स्ट्रगल'',एलाइड पब्लिशर्स लिमिटेड, मुंबई, पृ 234
22. मेघवाल डॉ० कुसुम, भारतीय नारी के उद्धारक बाबासाहेब डॉक्टर बी० आर० अंबेडकर, सम्यक प्रकाश ,दिल्ली 2010
23. शर्मा रामशरण, प्रारंभिक भारत का आर्थिक और सामाजिक इतिहास, हिंदी मध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय
24. शास्त्री ,शंकर नंद ,युग पुरुष बाबा साहेब डॉ० बी आर अंबेडकर : जीवन संघर्ष एवं राष्ट्र सेवाएं ,अमित बुक कंपनी नई दिल्ली ,1990
25. सिन्हा, कुमार सुधा, (2000):'' वूमेन एंड द फ्रिडम मूवमेंट इन बिहार'', जानकी पब्लिकेशन, दिल्ली पृ० 343